महत्वपूर्ण एवं खास

मतदान दिवस 17 नवम्बर को सामान्य अवकाश घोषित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान दिवस 17 नवम्बर को जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है।

कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यों के संबंध में ली समीक्षा बैठक

सारंगढ़.बिलाईगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने सभाकक्ष ने आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्यों की व्यवस्था के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों की बैठक व्यवस्था, ईवीएम मशीनों के स्टोरेज एवं साफ-सफाई, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था आदि के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा संगवारी मतदान केन्द्रों को विशेष थीम के आधार पर सजावट करने एवं सभी आदर्श मतदान केन्द्रों में सेल्फी जोन स्थापित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारीए एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा द्वय स्निग्धा तिवारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी के समक्ष गोपनीयता के साथ बुजुर्ग ने घर में किया मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने सारंगढ़ तहसील के ग्राम दानसरा में लगभग 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला पीलानोनी साहू के घर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम पूछा। छत्तीसगढ़ी में बात करते हुए कलेक्टर ने कहा.दाई कैसे हस, बने हावस ना। सरकार ह घर में वोट देहे के सुविधा दिस हे। बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी के साथ शांतिमय वातावरण में बात की। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी के समक्ष नायब तहसीलदार कोमल साहू के नेतृत्व में डाक मत पत्र के मतदान दल ने बुजुर्ग महिला को घर में मतदान करने की प्रक्रिया को गोपनीयता के साथ पूरा किया। इस अवसर पर गली और घर के आसपास बुजुर्ग महिला के बेटे, बहू आदि उपस्थित थे।

प्रेक्षक पवन कुमार और राजेन्द्र कुमार मीणा ने बलौदाबाजार स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र-43 के सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार और पुलिस प्रेक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने टुंडरी के पास एफएसटी जांच टीम के कार्यों का अवलोकन किया। इसके बाद वे बलौदाबाजार में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मुलाकात किए। सामान्य प्रेक्षक पवन कुमार ने बिलाईगढ़ के जो मतदान केन्द्र बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के सीमा में स्थित हैं, उन मतदान केन्द्र के ईव्हीएम वोटिंग मशीनों के भंडारण, कमिशनिंग (ईव्हीएम मशीन में चुनाव चिन्ह इंस्टाल) आदि के बारे में निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी लिया। इस अवसर पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के निर्वाचन अधिकारीगण उपस्थित थे।

80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के होम वोटिंग की हुई शुरूआत : मतदाताओं के घर पहुंचा मतदान दल

- वृद्ध महंत ने मतदान कर सेल्फी प्वाईंट में ली सेल्फी, कहा होम वोटिंग निर्वाचन आयोग की अच्छी पहल
- सामान्य प्रेक्षक, कलेक्टर एवं एसएसपी ने होम वोटिंग का किया निरीक्षण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में मतदान केन्द्र तक पहुंच पाने में असमर्थ 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयोवृद्ध व दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत आज जिले के ऐसे मतदाताओं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है उनके घर मतदान दल पहुँचा। ऐसे मतदाताओं ने डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान देकर लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता की शुरूआत की। इसी कड़ी में आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा के भाग संख्या 2-कोड़ासिया की 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की डोकरी नाग ने डाकमत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहे।

सामान्य प्रेक्षक पहुंची वृद्धाश्रम, होम वोटिंग प्रक्रिया का किया निरीक्षण- सामान्य प्रेक्षक डॉ.रूपांजलि कार्तिक ने आज पहाड़ मंदिर स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचकर होम वोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण की। यहां निवासरत वयोवृद्ध ने डाकमत पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वृद्ध कालेश्वर दास महंत एवं कालाचंद मेहर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शत-प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से हम जैसे वृद्धजनों के लिए होम वोटिंग की अच्छी पहल शुरू की गई है। जिससे आज हम घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे है। इस मौके पर कालेश्वर दास महंत ने बने सेल्फी प्वाइंट में अपनी सेल्फी भी ली। मतदान से पूर्व आरओ गगन शर्मा ने मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान मतदान दल द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होम वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराया।

चारों विधानसभाओं में 167 मतदाताओं ने किया होम वोटिंग- उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में शत-प्रतिशत मतदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु प्रारूप 12घ में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई थी। जिसके तहत आज जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा में 28, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ में 28, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 18-खरसिया में 86 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19-धरमजयगढ़ में 25, इस प्रकार कुल 167 मतदाताओं द्वारा आज डाकमत पत्र के माध्यम से घर बैठे मतदान किया।

आरोपी से पत्थलगांव, सीतापुर, धरमजयगढ़, लैलूंगा और रायगढ़ से चोरी की10 बाइक बरामद

- कापू और पत्थलगांव पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 08/11/20 23 को पत्थलगांव और कापू पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए कापू थाना क्षेत्र के कदमढोढी गांव में दबिश देकर शातिर बाइक चोर आरोपी सुरेंद्र नट पिता मलसिंह नट से चोरी की 10 बाइक बरामद किया गया है।

विगत दिनों थाना प्रभारी पत्थलगांव द्वारा पत्थलगांव नगर पंचायत से चोरी बाइक के संबंध में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज संदेही पतासाजी के लिए थाना प्रभारी धरमजयगढ़, कापू, लैलूंगा को शेयर किया गया था। थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के संदेही का अपने स्तर पर पतासाजी किया गया जिसमें संदेही के ग्राम कदमढोढी के सुरेंद्र नट के होने का पता चला। थाना प्रभारी कापू द्वारा तत्काल पत्थलगांव पुलिस को सूचित कर कापू व पत्थलगांव पुलिस के साथ संदेही के सकुनत पर दबिश दिया गया और जिसमें आरोपी सुरेंद्र नट के घर से 10 चोरी की बाइक बरामद हुआ। आरोपी ने इन बाइक को पत्थलगांव, सीतापुर, धरमजयगढ़, लैलूंगा और रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी कर घर में छुपा कर रखना बताया है। बरामद 3 बाइक थाना पत्थलगांव में दर्ज अपराध से संबंधित थे जिस पर पत्थलगांव पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम एवं थाना प्रभारी पत्थलगांव धीरेंद्र नाथ दुबे एवं उनके स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले 4 विधान सभा क्षेत्रों के 16 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जारी किया नोटिस

- तीन दिवस के भीतर करना होगा व्यय लेखा अवलोकन हेतु प्रस्तुत

रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण जिले की चार विधानसभा से 16 प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रत्याशियों को 72 घंटे के अंदर कारण दर्शित करते हुए अपना स्पष्टीकरण संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समस्त प्रस्तुत करना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में शामिल प्रत्याशियों के व्यय लेखा परीक्षण का कार्य जिला व्यय अनुवीक्षण दल द्वारा किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय निगरानी के लिए विधान सभावार दो व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए है। अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का तीन बार निरीक्षण किए जाने हेतु 6 नवम्बर, 10 नवम्बर एवं 15 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें अभ्यर्थी को उसके निर्वाचन व्यय से संबंधित जानकारी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होती है। 6 नवम्बर को हुए प्रथम व्यय लेखा परीक्षण में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ के प्रत्याशी इबरार अहमद-निर्दलीय, कान्ति साहू-आजाद जनता पार्टी, राधेश्याम शर्मा-निर्दलीय, गोपाल प्रसाद अग्रवाल-आम आदमी पार्टी, भवानी सिंह सिदार-हमर राज पार्टी, सुनील मिंज-जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, सुरेन्द्र सिदार-निर्दलीय, गुरूवारी जीनत परवीन-निर्दलीय, अशोक गार्डिया-निर्दलीय एवं मधुबाई-जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सहित कुल 10 प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से मनीषा गोंड-जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे),भजन सिदार-निर्दलीय, महेन्द्र कुमार सिदार-निर्दलीय, रघुवीर राठिया-गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सुनीति सत्यानंद राठिया-भारतीय जनता पार्टी सहित कुल 5 प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से भवानी सिंह सिदार-हमर राज पार्टी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार रायगढ़ जिले की चार विधानसभाओं से कुल 16 प्रत्याशियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी को नोटिस जारी किया गया है।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में लेखा अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है किंतु अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण पंजी का मिलान से लेखा व्यय में अंतर पाये जाने पर धरमजयगढ़ विधानसभा से 02 अभ्यर्थियों में लालजीत सिंह राठिया और हरिश चन्द्र राठिया को नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार व्यय लेखा में अंतर के कारण लैलूंगा विधानसभा के 01 अभ्यर्थी विद्यावती सिदार और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 03 अभ्यर्थियों में प्रकाश नायक, ओम प्रकाश चौधरी और शंकर लाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है।

जिले की सीमा में पूर्व लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित

- गठित दल से संपर्क कर कोई भी नागरिक कर सकता है शिकायत

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने रोगियों, वृद्धाओं, दिव्यांगजनों, विद्यार्थियों की पढ़ाई आदि की बाधा एवं परित्रास तथा लोक परिशांति को ध्यान में रखते हुए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा के अंतर्गत पूर्व लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इस आशय का आदेश 07 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टीटोन हॉर्न-प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे के विरूद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किए जाने तथा सम्यक जांच के लिए अधिकारियों की दल गठित की गई है। गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। कोई भी नागरिक इन दलों से संपर्क कर शिकायत कर सकता है।

गठित दल में अधिकारी-कर्मचारी और उनके मोबाइल नंबर

सारंगढ़ क्षेत्र के लिए दल- इस दल में मोनिका वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सारंगढ़, मो. नं. 9329341984, सुश्री नेत्रप्रभा सिदार , तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी सारंगढ़ मो. नं.-8602547239, थाना प्रभारी, सिटी कोतवाली, सारंगढ़, देवमती सिदार राजस्व निरीक्षक, सारंगढ़ 9406220150, उमेश कुमार पटेल, पटवारी सारंगढ़ 9522442999 शामिल है।

बरमकेला क्षेत्र के लिए दल- इस दल में आयुष तिवारी नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरमकेला मो. नं.-9617296226, थाना प्रभारी, बरमकेला एवं डोंगरीपाली, देवमती सिदार राजस्व निरीक्षक, सारंगढ़ 7389523742, लालसाय सिदार, पटवारी बरमकेला 9131122994 शामिल है। सरिया क्षेत्र के लिए दल -इस दल में शनि पैंकरा तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरमकेला मो. नं. - 9827464329, थाना प्रभारी, सरिया, प्रहलाद सिदार, राजस्व निरीक्षक, सरिया 9424192620, संजीव त्रिपाठी, पटवारी सरिया 9589864242 शामिल है।

कोसीर क्षेत्र के लिए दल-इस दल में रूपाली मेश्राम नायब तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी कोसीर मो. नं.- 6260520007, थाना प्रभारी कोसीर, दिपक कुमार पटेल राजस्व निरीक्षक 8085644448, शिवकुमार देवांगन, पटवारी कोसीर 9479059080 शामिल है।

बिलाईगढ़ क्षेत्र के लिए दल-इस दल में स्निग्धा तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलाईगढ़- 7987283205 कमलेश सिदार तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी बिलाईगढ़ मो. 6264902812, थाना प्रभारी बिलाईगढ़, सत्यनारायण ध्रुव, राजस्व निरीक्षक 9009134268, प्रमोद कुमार टाण्डे, पटवारी बिलाईगढ़ 9977439346 शामिल है।

भटगांव क्षेत्र के लिए दल-इस दल में अरपन कुर्रे नायब तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव मो. नं-9754213789, थाना प्रभारी भटगांव एवं सलिहा, जीवन साहू राजस्व निरीक्षक गोविन्दवन 9425523977,श्री गणेश राम साहू, पटवारी भटगांव 8889721399 शामिल है।

सरसींवा क्षेत्र के लिए दल - इस दल में बंदेराम भगत, नायब तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डााधिकारी सरसीवां मो. नं-9406476109, थाना प्रभारी सरसीवां, राजेन्द्र कुमार कुर्रे राजस्व निरीक्षक सरसींवा 9691233932, संतोष कुमार पाण्डेय, पटवारी सरसीवां 9425228926 शामिल है।

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र से चुनावी प्रचार कर रहा वाहन जब्त

रायगढ़। दिनांक 07/11/2023 को थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम अपने स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इस दौरान ग्राम तालगांव चौक के पास एक छोटा हाथी वाहन सीजी 04 पीसी - 5347 में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर प्रचार कर रहे वाहन को रोक कर चेक किया गया। वाहन में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आने-जाने वाले राहगीर परेशान हो रहे थे। चालक आत्माराम धृत लहरे से थाना प्रभारी द्वारा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिये प्रचार करने की अनुमति के कागजात की मांग किया गया। मौके पर वाहन चालक ने किसी प्रकार के कागजात नहीं बताया। थाना प्रभारी द्वारा गवाहों के समक्ष वाहन एवं वाहन में रखे 2 नग साउंड बॉक्स, फ्लेक्सी की जप्ती कर अनावेदक आत्माराम धृत लहरे पिता महेश राम उम्र 24 साल निवासी गोडारी थाना व जिला महासमुंद पर कोलाहल अधिनियम नियंत्रण 1985 की धारा 10, 11, 15 के तहत कार्रवाई किया गया है।

बस्तर में सबसे ज्यादा 84.65 प्रतिशत मतदान

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए 76.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसमें बस्तर में सबसे अधिक 84.65 प्रतिशत मतदान रिकार्ड किया गया है।

उक्त जानकारी आज छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगोले ने दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए है, बस्तर संभाग और राजनांदगांव विधानसभा के सभी सीटों में मतदान हुआ है। इस बार 20 विधानसभा सीटों पर 76.47 प्रतिशत मतदान हुए है। जिसमे सबसे अधिक बस्तर में 84.65 प्रतिशत मतदान और बीजापुर में सबसे कम 46.00 प्रतिशत वोटिंग हुई है। दूसरे चरण पर शेष बचे 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे बताया कि पहले चरण के चुनाव के दौरान तकनीकी समस्या के चलते 62 कंट्रोल यूनिट और 123 विविपेट बदले गए। इसके साथ ही उन्होंने केशकाल दुर्घटना की जानकारी दी। यह हादसा बैलेट बॉक्स जमा कर घर लौटते वक्त हुआ। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नक्सली वारदातों की भी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि कुल 3 जगहों में नक्सल वारदाते हुई थी। नक्सली घटना में प्रभावित जवानों का रायपुर के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

प्रथम रेन्डमाइजेशन (पूरक) में शामिल हुए सामान्य प्रेक्षक तापस राय

सारंगढ़ बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत सारंगढ़ विधानसभा-17 के सामान्य प्रेक्षक तापस राय, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी तथा राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधियों के सामने कलेक्टोरेट सभाकक्ष सारंगढ़ में प्रथम रेन्डमाइजेशन (पूरक) किया गया। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने राजनीतिक दलों को जानकारी दी कि प्रथम रेन्डमाइजेशन में मेरे (जिला निर्वाचन अधिकारी) के आधिपत्य से वोटिंग मशीनों को 40-40 के हिसाब से दोनों विधानसभा को आबंटित किया गया था, जिसका 20 मेरे आधिपत्य में शेष है। प्रथम रेन्डमाइजेशन में एलाट मशीनों का द्वितीय रेन्डमाइजेशन में मतदान केन्द्रवार आबंटित किया गया। कमिशनिंग के दौरान इन मशीनों में चुनाव चिन्ह इंस्टाल के दौरान कुछ मशीनों (बीयू, सीयू, व्हीव्हीपैट) में तकनीकी कारण (एरर) से रिजेक्ट किया गया। इनके स्थान पर रिजर्व में रखे गए मशीनों में चुनाव चिन्ह इंस्टाल किया गया है। अब इन रिजर्व में रखे मशीनों का स्थान रिक्त हैए जिसके लिए यह प्रथम रेन्डमाइजेशन (पूरक) का आयोजन आपके समक्ष किया गया।

जनरल आब्जर्वर तापस राय ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को कहा कि यदि उन मशीन, जिसमें टाइम सेट नहीं हो पाया, उससे वोटिंग करेंगे तो वोटिंग का समय और मशीन का समय सेट नहीं होने से मतदान कार्य बाधित होगा, इसलिए उन मशीनों को बदला गया है। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रश्न करने पर जवाब में रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा ने कहा कि जो मशीनए निर्वाचन नियमों के तहत तकनीकी रूप से सही नही पाए गए, उनको हटाया गया है, रिजर्व में रखे अन्य मशीनों को उन मशीनों के बदले में चेक कर रखा गया। अब रिजर्व में खाली हुए मशीनों के स्थान को जिला निर्वाचन अधिकारी के आधिपत्य में रखे हुए मशीनों से भरने के लिए यह प्रथम रेन्डमाइजेशन (पूरक) किया गया है।

जनरल आब्जर्वर तापस राय, कलेक्टर एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष स्ट्रांग रूम को खोला गया और मशीनों का एंट्री कर दोनों रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा गया। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष स्ट्रांग रूम को बंद किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480